चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक 22.12.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा थाना मारकुण्डी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, महिला हेल्पडेस्क,साइबर हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, मालखाना व हवालात का निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री निशिकान्त राय को रजिस्टरों के अध्यावधिक करने,जनसुनवाई में त्वरित कार्यवाही,विवेचना निस्तारण,वारण्टी/वांछित आदि की गिरफ्तारी एवं साफ सफाई,बिजली,पानी, शौचालय आदि को ठीक कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना भरतकूप पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त से 09 किलो 150 ग्राम सूखा गांजा व थाना बरगढ़ पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त से 320 ग्राम अवैध सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

निरीक्षक अपराध श्री अभयराज सिंह थाना भरतकूप,उ0नि0 अतीन्द्र सिंह चौहान,उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह आरक्षी प्रवीण पाण्डेय द्वारा अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह उर्फ धीरू पुत्र जसवंत सिंह निवासी गोबरिया बुजुर्ग थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को एक प्लास्टिक की बोरी में 09 किलो 150 ग्राम सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

उ0नि0 श्री कृष्णकुमार राय थाना व आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार,महिला आरक्षी पारूल श्रीवास्तव,महिला आरक्षी रीना चौधरी द्वारा अभियुक्त निशा शुक्ला पत्नी स्व0 सुनील कुमार निवासी अरवारी मोड़ थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 320 ग्राम अवैध सूखा नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरूद्ध थाना बरगढ़ में 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री नरेन्द्र यादव व आरक्षी चन्दन विश्वकर्मा द्वारा अभियुक्त रामविलास सोनकर पुत्र नरेश सोनकर निवासी कुसौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 20 अदद देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

(5). आज दिनाँक-22.12.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह के पर्यवेक्षण में थाना क्षेत्रान्तर्गत आने वाले बैंक/वित्तीय संस्थानों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान बैंक सुरक्षा रजिस्टर को चेक किया गया एवं डियूटी में लगे पुलिसकर्मियों को सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश दिये एवं सतर्कतापूर्वक डियूटी करने हेतु बताया गया । बैंक में लगे अलार्म/सायरन, सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण कर चेक किया गया कि सही प्रकार से कार्य कर रहे है या नहीं तथा शाखा प्रबंधकों से सुरक्षा सम्बन्धी वार्ता की गयी । बैंक परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी एवं अनावश्यक रूप से बैठे व्यक्तियों को परिसर से बाहर कर निर्देश दिये गये ।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी व उनकी टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया ।

आवेदिका नीतू देवी पुत्री भुजवल श्रीवास निवासी राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा थानाध्यक्ष महिला थाना के समक्ष अपने पति रोहित श्रीवास पुत्र मुन्नीलाल निवासी धरमपुर सतना म0प्र0 सहित ससुर,सास आदि द्वारा शारीरिक,मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए घर से बाहर निकाल देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम

देवी एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाने पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया । परिवारिजन आपसी सुलह होने पर एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी

2.उ0नि0 श्री रूपनारायण

3.महिला मुख्य आरक्षी लता त्रिपाठी

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 22.12.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 74/2020 धारा 376,504,506 भादवि0 व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त जग्गू नाई उर्फ मनोज पुत्र कल्लू नाई निवासी गढ़चपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 7000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 14.07.2020 को थाना मानिकपुर निवासी एक वादी द्वारा थाना मानिकपुर पर सूचना दी गयी कि अभियुक्त जग्गू नाई उर्फ मनोज उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री जो शौच क्रिया हेतु खेत गयी थी के साथ बलात्कार किया व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 74/2020 धारा 376,504,506 भादवि0 व 4(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री विजयेन्द्र द्विवेदी द्वारा सम्पादित की गयी। अभियुक्त को दिनाँक 17.07.2020 को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दिनाँक 22.08.2020 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनांक 22.12.2025 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 782/2008 धारा 25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त भोला पुत्र बुड़कू निवासी अतरौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि, न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 1200 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अशोक पाल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनांक 22.12.2025 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 235/2011 धारा 25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त

सुरेशपाल पुत्र रामकृपाल निवासी हनुमानगंज लौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि, न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 1200 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

🚨 प्रेस नोटः-चित्रकूट पुलिस 🚨
माननीय न्यायालय द्वारा आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 1200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी अशोक पाल द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा आज दिनाँक 22.12.2025 को थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 235/2011 धारा 25 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त सुरेश पाल पुत्र रामकृपाल निवासी लौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

🚨 प्रेस नोटः-चित्रकूट पुलिस 🚨
माननीय न्यायालय द्वारा आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 1200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी द्वारा आज दिनाँक 22.12.2025 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 782/2008 धारा 25 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त भोला पुत्र बड़कू रैकवार निवासी अतरौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

🚨 प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस 🚨

थानाध्यक्ष महिला थाना द्वारा द्वारा परिवारिक विवादों/मतभेदों को समाप्त कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया

आपसी मतभेद/विवादों को भूल पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुशी-खुशी रहने को हुए तैयार

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी व उनकी टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका नीतू देवी पुत्री भुजवल श्रीवास निवासी राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा थानाध्यक्ष महिला थाना के समक्ष अपने पति रोहित श्रीवास पुत्र मुन्नीलाल निवासी धरमपुर सतना म0प्र0 सहित ससुर,सास आदि द्वारा शारीरिक,मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए घर से बाहर निकाल देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाने पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। परिवारिजन आपसी सुलह होने पर एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी

2.उ0नि0 श्री रूपनारायण

3.महिला मुख्य आरक्षी लता त्रिपाठी